दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 23-07-2025

फैसले के बाद टिप्पणी, वकील ने मांगी माफी, कोर्ट बोला- क्षमा आंतरिक शक्ति

कहा- भावनात्मक बोझ को उतारकर आगे बढ़ना जरूरी

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट के फैसले के बाद टिप्पणी कर अवमानना नोटिस के जवाब में वकील ने मंगलवार को बिना शर्त माफी मांग ली। जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच के समक्ष वकील ने घटना पर दुख जताते हुए भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने का भरोसा दिलाया। हाई कोर्ट ने माफी मंजूर करते हुए कहा है कि गहरा आघात पहुंचने पर क्रोध, आक्रोश और दुख जैसी भावनाएं स्वाभाविक होती हैं। लेकिन क्षमा एक आंतरिक शक्ति है जो न्यायिक मर्यादा की रक्षा करती है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कोरबा निवासी अधिवक्ता श्यामल मलिक द्वारा फैमिली कोर्ट के डीएनए जांच आदेश को चुनौती देने वाली याचिका 3 जुलाई 2025 को खारिज कर दी थी। याचिका

हाई कोर्ट पहुंचे वकील, कहा- उनकी टिप्पणी अनुचित थी

अधिवक्ता मसीह 18 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में उपस्थित हुए और हलफनामे के माध्यम से बिना शर्त माफी मांगते हुए स्वीकार किया कि उनका वक्तव्य अनुचित था। उन्होंने कोर्ट की गरिमा बनाए रखने का भरोसा भी दिया।

पहले ही एक अन्य याचिका में 8 अप्रैल 2024 को खारिज की जा चुकी थी, दूसरी बार याचिका लगाने पर कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद अधिवक्ता सैमसन सैमुअल मसीह ने कहा था कि मुझे पता था कि मुझे इस बेंच से न्याय नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट ने इसे अवमानना माना और वकील को उपस्थित होकर जवाब देने कहा था।